

27.02.18

वकील वादी एवं प्रतिनिधी २५५ उपस्थित
वाहने साक्ष्य वादी नियत है। प्रकरण में बार-
बार आवाज लगावाई गई किन्तु वादीगण
असालत या क्कालतन उपस्थित नहीं आये। अतः
प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली फंसलशुमार दोका नंबर से कम ही एवं
बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कलेक्टर एवं
सहायक कलेक्टर
महानगरपालिका
सिटी